प्रेषक,

बसंत कुमार जैन,
वरिष्ठ सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उन्नाव।

सेवा में,

श्रीमान निबन्धक,
माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0,
सी–1,विक्रान्त खण्ड–1, (शहीद पथ के बगल में)
गोमती नगर, लखनऊ (उ0प्र0)।

पत्रांकः 201 /जि0उप0वि0प्रति0आ0/2022 दिनांकः 27 मई, 2022

विषयः–जिला उपभोक्ता आयोग, उन्नाव हेतु मध्यस्थों को पैनलबद्ध करने हेतु विज्ञप्ति मा0 राज्य आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके पत्रांक संख्या– 3426/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0 101/16, दिनांक 02–12–2021 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–सी0पी0 480/2021,/84–2–2021–सी0एन0 1369528 दिनांक 25–11–2021 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम 2020 की धारा– 5 के अनुसार इस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उन्नाव हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध किया जाना है। इस सम्बन्ध में प्रावधान है कि सम्बन्धित विज्ञापन को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जावे जिसके सम्बन्ध में जिला सूचना अधिकारी उन्नाव को समाचार पत्र में उक्त सूचना प्रकाशित कराये जाने हेतु पत्राचार किया गया है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मा0 राज्य उपभोक्ता आयोग उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट www.scdrc.up nic.in पर नियुक्तियों से सम्बन्धित शर्तो एवं आवेदन का प्रारूप (संलग्न) एवं अन्तिम तिथि दिनांक 15–6–2022 को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–

उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
27/5/22
(बसंत कुमार जैन)
वरिष्ठ सदस्य,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उन्नाव।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उन्नाव

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उन्नाव।

सूचना

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग –2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या सी0पी0 480/2021/84–02–2021 – सी0एन0 1369528 दिनांक 25–11–2021 एवं इसी क्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या 3426/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0101/16 दिनांक 02–12–2021 के क्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उन्नाव में उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है।

इसी क्रम में उचित पात्रता वाले व्यक्तियों से आवेदन एतदद्वारा आमंत्रित किये जाते है।

मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए निम्न उल्लिखित व्यक्ति पात्र होंगे–

1–जिला उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य
2–सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च के अन्य सेवा निवृत्त सदस्य
3–दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी
4–वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता
5–जिला न्यायालय में मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनल बद्ध मध्यस्थ
6– मध्यस्थता /सुलह में न्यूनतम 5 वर्षो का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति
7– न्यूनतम 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी

निम्न उल्लिखित व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में पैनल बद्ध होने के लिए अनर्ह माने जायेगें–

1– ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्याय निर्णीत घोषित किया गया हो।
2–ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हो, और लम्बित पडे हेा।
3– ऐसा व्यक्ति जिसे किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हेतु सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
4– ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकरण द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी हो और लम्बित हो, दण्डित किया गया हो।
5– ऐसा व्यक्ति जो उपभोक्ता विवाद के विषय में हितबद्ध रखता हो अथवा उससे सम्बन्धित हो अथवा जो वृतिक क्षमता सहित किसी भी रीति में उपभोक्ता में किसी भी पक्ष या उसके किसी सहभागी, सहयोगी, प्रमोटरों, मूल कम्पनी, अनुषंगी कम्पनी, भागीदारों निदेशकों या कर्मचारी इत्यादि से सम्बन्धित हो अथवा सम्बद्ध हो अथवा जुड़ा हुआ हो।

अर्ह व्यक्ति अपना पूर्ण नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, टेलीफंोन/मोबाइल नम्बर का विवरण उल्लिखित करते हुए, आवेदन दिनांक 15–06–2022 तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उन्नाव के कार्यालय

——————— पेज 2 पर

स्थित कलेक्ट्रेट भवन के कमरा न0 43 के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकार किये जायेगें। आवेदक को आवेदन पत्र पर अपना स्व हस्ताक्षरित अद्यतन फोटो चस्पा करना होगा।

नोटः– 1– मध्यस्थों की संख्या आवश्कतानुसार तय की जायेगी।

2– मीडिएशन सेंटर हेतु स्थान मिलने के पश्चात मध्यस्थों की नियुक्ति की जायेगी।

(कुमुद पाल)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उन्नाव।

पत्रांक संख्याः–166/जि0उप0वि0प्रति0आयोग/2022 दिनांक / /मई, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव को 3 प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को कम से कम एक अंग्रेजी समाचार पत्र व उन्नाव में प्रचलित एक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में निःशुक्ल प्रकाशित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें तथा सूचना प्रकाशित होने सम्बन्धी समाचार पत्रों की प्रति भी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित करे।

2– जिला न्यायाधीश, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया जनहित में जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने की कृपा करे।

3–जिलाधिकारी उन्नाव, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनहित में अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने की कृपा करे।

4– अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, उन्नाव को एसोसिएशन के कार्यालय में चस्पा करवाने के अनुरोध के साथ।

5– निबन्धक, माननीय राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ, को वास्ते सूचनार्थ प्रेषित।

6– कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(कुमुद पाल)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उन्नाव।

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
उन्नाव

कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उन्नाव।

<u>आवेदन का प्रारुप</u>

फोटो स्वाप्रमाणित

आवेदक का नाम-

पिता का नाम-

जन्मतिथि-

वर्तमान पता-

पूर्व सेवा का विवरण-

बार काउन्सिल उ0प्र0 का पंजीयन संख्या-

विधिक अनुभव-

अन्य अनुभव-

मोबाइल नम्बर-

ई-मेल-

अन्य विवरण-

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक- आधार कार्ड/ आई.डी/ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/ बार काउन्सिल आफ उत्तरप्रदेश का पंजीयन प्रमाण पत्र एंव आदि स्वप्रमाणित

घोषणा

मै................................ मेरे द्वारा आवेदन पत्र मे दी गई समस्त जानकारी सही, सत्य एंव वैध है। जरुरत पडने पर समस्त कागजात मेरे द्वारा मौके पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर